<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, आंवला, जिला बरेली।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 761/2022

(CNR No. UPBR120030812022)

सरकार बनाम हरिओम

धारा- 60 आबकारी अधिनियम

मु.अ.सं. - 100/2014

थाना- अलीगंज, जिला बरेली।

<u>दिनांक- 31.10.2022</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियुक्त हरिओम पुत्र मोतीराम कश्यप की ओर से मु.अ.सं. 100/2014 थाना अलीगंज, जिला बरेली, अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम के प्रकरण में जमानत हेतु दिया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उपरोक्त अपराध जमानतीय होने का अंकन किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त उपरोक्त पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अपराध कारित करने का अभियोग है। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। उपरोक्त अपराध जमानतीय प्रकृति का है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त हरिओम पुत्र मोतीराम कश्यप को मुव० बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रथक प्रतिभू दाखिल करने पर मामले के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किए बिना जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अंकित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
आंवला, बरेली।